

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, मुख्यालय गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी— सुदर्शन सिंह तोमर

| क्र०सं० | पूर्व पत्रावली सं० | दर्ज दिनांक | वर्तमान पत्रावली सं० | दर्ज दिनांक | निर्णय दिनांक | कुल पृष्ठ |
|---------|--------------------|-------------|----------------------|-------------|---------------|-----------|
| 1 | 19/2021 | 29.09.2021 | 15/25 (2025/15) | 15.01.2025 | 17.10.2025 | 1 लगायत 3 |
| 2 | 18/2023 | 12.09.2023 | | | | |

1. अजय दत्तक पुत्र बृजमोहन जाति बैरवा निवासी पट्टीकलां तहसील बामनवास।
—अपीलान्ट
बनाम
1.. सीता पुत्री बृजमोहन पत्नी प्रेमराज जाति बैरवा निवासी पट्टीकलां तहसील बामनवास हाल निवासी राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के पीछे, बास लक्ष्मीपुरा, पोस्ट खेडला खुर्द तहसील लालसोट।
2. मुक्ति पुत्री बृजमोहन पत्नी रामलाल जाति बैरवा निवासी पट्टीकलां तहसील बामनवास।
— मृतक
2/1 गुन्जन पुत्री रामलाल उम्र 5 वर्ष जाति बैरवा नाबालिग जरिए संरक्षक पिता रामलाल ग्राम खानपुर तहसील लालसोट।
2/2 काजल पुत्री रामलाल उम्र 10 वर्ष जाति बैरवा नाबालिग जरिए संरक्षक पिता रामलाल ग्राम खानपुर तहसील लालसोट।
2/3 रामलाल पुत्र गुलाब पति मुक्ति जाति बैरवा नाबालिग जरिए संरक्षक पिता रामलाल ग्राम खानपुर तहसील लालसोट।
3. लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील बामनवास।

—रेस्पोडेन्डगण

उपस्थित—

अपीलान्ट की ओर से— विद्वान अभिभाषक श्री महेश चन्द्र अग्रवाल ।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956
निर्णय

1. यह अपील तहसीलदार बामनवास द्वारा तस्दीकशुद्धा नामान्तरकरण संख्या 723 दिनांक 11.08.2021 वाके ग्राम बामनवास पट्टीकलां डी से अप्रसन्न होकर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 इस न्यायालय में पेश की गयी। नामान्तरकरण सं० 723 दिनांक 11.08.2021 द्वारा बामनवास पट्टीकलां डी में स्थित कृषि भूमि खसरा संख्या 7317 रकबा 1.56 है०, खं०नं० 7322/7765 रकबा 0.15 है०, खं०नं० 7323/7766 रकबा 0.75 है० कुल कित्ता 3 कुल रकबा 2.46 है० का विरासत नामान्तरकरण तस्दीक किया गया था। उक्त आदेश से अप्रसन्न होकर अपील प्रस्तुत की गई। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो० तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी
मु0सं0 15/2025 अजय बनाम सीता वगै0।

2. रेस्पोजेन्ट सं0 1 व 2/1, 2/2, 2/3 बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं होने के कारण रेस्पोजेन्ट सं0 1 व 2/1, 2/2, 2/3 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई तथा अभिभाषक अपीलार्थी की बहस सुनी गई।
3. अभिभाषक अपीलांत ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये कि ग्राम बामनवास पट्टीकलां डी में स्थित कृषि भूमि खसरा संख्या 7317 रकबा 1.56 है0, खं0नं0 7322/7765 रकबा 0.15 है0, खं0नं0 7323/7766 रकबा 0.75 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 2.46 है0 जोकि बृजमोहन अपीलान्त के दत्तक पुत्र रहे है के कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि रही है। अपीलान्त को विधि विधान के अनुसार स्व0 बृजमोहन उसकी पत्नी कंचन ने रस्मोरिवाज बिरादरी के अनुसार दिनांक 26.11.2005 को गोद ले लिया और उस पर रेस्पोजेन्ट की भी सहमति रही है। तभी से अपीलान्त बृजमोहन का वारिस हो गया व उसकी चल व अचल सम्पत्ति पर काबिज है। रेस्पोजेन्ट नम्बर 1 व 2 उसकी बहने है। जोकि बृजमोहन की पुत्रियां है। उक्त विरासत का नामान्तकरण गलत रूप से रेस्पोजेन्ट नम्बर 1 व 2 ने 1/2-1/2 करा लिया जबकि दोनों बहनों का 1/3-1/3 हिस्सा है व 1/3 हिस्सा अपीलान्त अजय का है। इस प्रकार नामान्तकरण सं0 723 दिनांक 11.08.2021 पूर्ण रूपेण गलत है, जिसे निरस्त किया जावे। अपीलान्त ने दौराने बहस यह भी निवेदन किया कि उक्त नामान्तकरण की जानकारी प्रार्थी को दिनांक 23.09.2021 को पटवारी हल्का के कहने पर हुई। जब वह बैंक की फाइल बनवाने के सिलसिले में बात करने गया, साथ ही अभिभाषक अपीलार्थी ने नामान्तकरण सं0 723 दिनांक 11.08.2021 बामनवास पट्टीकलां बी आदेश तहसीलदार 31.08.2021 मंसूख फरमायी जाकर अपीलान्त का 1/3 व रेस्पोजेन्ट नं0 1 का 1/3 हिस्सा व रेस्पोजेन्ट नं0 2 का 1/3 हिस्सा दर्ज फरमाने हेतु निवेदन किया है।
4. अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का नामान्तकरण सं0 723 दिनांक 11.08.2021 बामनवास पट्टीकलां डी आदेश तहसीलदार 31.08.2021 मंसूख फरमायी जाकर अपीलान्त का 1/3 व रेस्पोजेन्ट नं0 1 का 1/3 हिस्सा व रेस्पोजेन्ट नं0 2 का 1/3 हिस्सा दर्ज फरमाने हेतु निवेदन किया है।
5. हमने पत्रावली एवं मूल नामान्तरकरण कर आद्योपान्त अवलोकन कर बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। तहसीलदार बामनवास द्वारा हस्तगत प्रकरण में नामान्तकरण सं0 723 दिनांक 11.08.2021 बामनवास पट्टीकलां बी आदेश तहसीलदार 31.08.2021 तस्दीक किया गया है। उक्त नामान्तकरण शपथ पत्र एवं प्रार्थना पत्र के आधार पर तस्दीक किया गया है। अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत दस्तावेज

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी
मु0सं0 15/2025 अजय बनाम सीता वगै0

- गोद-पत्र दिनांक 26.11.2005 की छायाप्रति, राशनकार्ड की छायाप्रति का अवलोकन किया गया। तहसीलदार बामनवास द्वारा उक्त नामान्तकरण तस्दीक करने से पूर्व अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत गोद-पत्र दिनांक 26.11.2005 का अवलोकन नहीं करना पाया गया है, जो कि अधिनस्थ न्यायालय की त्रुटि होना जाहिर करता है, साथ ही अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत नामान्तकरण का अवलोकन किया गया। उक्त नामान्तकरण के अनुसार उक्त वाद आराजीयात दी सेंद्रल कोपरेटिव बैंक लिमिटेड शाखा बामनवास के नाम रहन दर्ज है। लेकिन विद्वान अभिभाषक द्वारा दी सेंद्रल कोपरेटिव बैंक लिमिटेड शाखा बामनवास को उक्त प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया गया है। जो एक अहम पक्षकार है।
6. अतः नामान्तकरण सं0 723 दिनांक 11.08.2021 निरस्त करके इस आदेश के साथ रिमाण्ड की जाती है कि प्रथम पंजीयन गोदनामा के आधार पर आवेदक स्वयं के खर्च पर स्थानीय दैनिक समाचार पत्र व एक राष्ट्रीय समाचार पत्र में प्रकाशित करेगा कि न्यायालय में उक्त विवादित आराजीयात के राजस्व रिकोर्ड में दत्तक नाम दर्ज होने है तथा उक्त समाचार पत्र की प्रति अदालत मातहत में प्रस्तुत करेगा। अदालत मातहत भू-राजस्व अभिधिनम 1956 की धारा 135 (2) के अर्न्तगत तीस दिवस में आपत्ति आमंत्रण करेगा। उक्त प्रकरण में आपत्ति अप्राप्त होने पर तथा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज वैध पाया जाता है। उस दशा में पूर्व तस्दीक नामान्तकरण निरस्त करने से पूर्व जो रेस्पोजेन्ट के हिस्से की शेष भूमि है, 1/3, 1/3 को संबंधित बैंक में रहन का नामान्तकरण को बदस्तुर रखते हुए अपीलान्त के हक में 1/3 हिस्से तक का नामान्तकरण खोला जा सकेगा। यदि दत्तक नामान्तकरण प्राप्त आपत्ति उपरान्त विधि अनुरूप/वैध नहीं पाया जाये तथा यदि किसी अन्य न्यायालय में विचाराधीन हो या अन्य न्यायालय के स्थगन प्रतिफल आदेश प्राप्त होने की दशा मे तहसीलदार पूर्व नामान्तकरण सं0 723 दिनांक 11.08.2021 को यथावत रखेगा।

निर्णय आज दिनांक 17.10.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर)
अति0 जिला कलेक्टर,
गंगापुर सिटी
अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी